अध्याय VI: पेनी स्टॉक पर दीर्घावधि पूंजी लाभ

6.1 प्रस्तावना

पेनी स्टॉक[95] वे स्टॉक होते है जो स्टॉक ऐक्सचेंजो पर सूचिबद्ध होते है जिनमें बहुत कम मूल्य पर कारोबार होता है, जिनमें बहुत कम बाजार पूंजीकरण होता है, यह अधिकतर अतरल रूप में होता है। ये स्टॉक स्वरूप में काफी अव्यवर्हाय होते है तथा इन्हें तरलता की कमी, शेयरहोल्डरों की कम संख्या तथा सूचनाओं का सीमित प्रकटीकरण के कारण अधिक जोखिम वाला माना जाता है।

निर्धारण अधिकारी (एओ) को पेनी स्टॉक से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाने के लिए, आयकर विभाग (आईटीडी) में पेनी स्टॉक[96] से संबंधित सूचना को प्रदर्शित करने के लिए आयकर अनुप्रयोग प्रणाली में व्यक्तिगत संव्यवहार स्क्रीन (आईटीएस) पर 'पेनी स्टॉक' नया बटन जोडा गया है। इसके अलावा प्रणाली निदेशालय ने निर्धारितियों के विवरण अपलोड किए है जिन्होंने इस पेनी स्टॉक[97] में संव्यवहार किया है। आईटीडी ने विभिन्न पहलुओं का विवरण देते हुए 21 नवम्बर 2016 दिनांक को मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) को जारी किया, निर्धारण अधिकारी से विशेष मामलों की संविक्षा के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ इस पर विचार करने की प्रत्याशा की जाती है।

वित्त बिल 2017 के अनुसार, यह देखा गया कि आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 10(38)[98] के अन्तर्गत दी गई छूट पर जाली संव्यवहारों में प्रविष्टि के द्वारा दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) छूट के रूप में अपनी अलेखांकित आय की घोषणा करने के लिए निश्चित व्यक्तियों द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा है।

---

95 बीएसई सूचीबद्ध पेनी स्टॉक के माध्यम से प्रोजेक्ट बोगस एलटीसीजी के मामले में आयकर निदेशालय (जांच) कोलकता, की जांच रिर्पोट का सन्र्दभ ले।

96 प्रवर्तन सूचना प्रणाली (ईएफएस) प्रणाली निदेशालय की निर्देश संख्या-53दिनांक 8.3.2016

97 सीबीडीटी की पत्र संख्या एफ.सं.387/30/2014-आईटी (आईएनवी-II) खंड-III दिनांक 16 मार्च 2016

98 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(38) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) में छूट देता है, जहां शेयरो का हस्तांतरण 1 अक्टूबर 2004 को अथवा उसके बाद हुआ है तथा बिक्री का संव्यवहार प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) को प्रभार्य है।

6.2 पृष्ठभूमि

आयकर निदेशालय (जांच) कोलकता ने अपने अधिकार क्षेत्र अर्थात कोलकाता के अन्दर निभाव प्रविष्टि संचालकों[99] की जांच की तथा 84 बीएसई सूचीबद्ध पेनी स्टॉक की पहचान की तथा 32 से अधिक शेयर ब्रोकिंग ईकाईयों के कार्यालय परिसर में कई तलाशी और सर्वेक्षण किया। इंकाईयों ने स्वीकार किया कि वे जाली एलटीसीजी मे सक्रिय रूप से शामिल थे। डीआईटी (जांच) ने कई निभाव प्रविष्टि[100] प्रदाताओं के कार्यालय परिसर में सर्वेक्षण किया और उनके बयानों को दर्ज किया।

डीआईटी (जांच) कोलकता निभाव प्रविष्टि प्रदाताओं के अभिलेखों से 64,811 पैन-इंडिया लाभकर्ताओ को पहचाना गया जिनमें ₹ 38,000 करोड़ (लगभग) की सन्देहास्पद एलटीसीजी छूट शामिल है तथा उनकी रिपोर्ट को डीजीआईटी के माध्यम से क्षेत्राधिकार निर्धारण विंग को भेज दिया है।

हमने मुंबई प्रभार को लेखापरीक्षा के लिए चयन किया, क्योंकि ₹ 38,000 करोड़ के कुल सन्देहास्पद एलटीसीजी छुटमें से 17,344 लाभकर्ताओं (27 *प्रतिशत*) वाले ₹ 12,234 करोड़ (32 *प्रतिशत*) मुंबई प्रभार के अन्तर्गत आता था।

6.3 कार्यप्रणाली सार

''डीआईटी (जांच), कोलकता की रिपोर्ट'' के अनुसार कार्य प्रणाली प्रविष्टि आपरेटर[101] द्वारा नियंत्रित कंपनी के पूर्व-निर्धारित पेनी स्टॉक कुछ शेयरों को बहुत कम कीमत पर अपने ही विनिमय के माध्यम से अथवा प्राथमिक निभाव के माध्यम से अर्थात निजी स्थानन के माध्यम से लाभार्थी[102] को खरीदवाना था। लाभार्थी एक वर्ष की सांविधिक अवधि के लिए शेयरों को रखता है जिसके बाद पेनी स्टॉक पर एलटीसीजी प्राप्त किया जाता है जिस पर 31 मार्च 2018 तक अधिनियम की धारा 10(38) के अंतर्गत छूटप्राप्त थी। उसी दौरान ऑपरेटर स्टॉक की कीमत में धांधली करते है तथा धीरे-धीरे कई बार इसकी

---

[99] डीआईटी (जांच) रिपोर्ट के अनुसार, कोई प्रविष्टि आपरेटर वह व्यक्ति है जो नकदी में कमीशन की निश्चित *प्रतिशत* प्रभारित करने के बाद समान राशि के नकद/चैक के बदले में निभाव प्रविष्टि देने का कार्य करता है।

[100] डीआईटी (जांच) रिपोर्ट के अनुसार, निभाव प्रविष्टि दो पार्टियों के बीच वित्तीय संव्यवहार है जहां एक पार्टी समान राशि के नकद के बदले में अन्य पार्टी के निभाव करने के लिए अपनी वित्तीय संव्यवहार में प्रविष्टि करता है तथा उस पर कुछ निर्धारित *प्रतिशत* के अतिरिक्त कमीशन प्राप्ति करता है। ये निभाव प्रविष्टियां देय कर का भुगतान किए बिना लेखा बहियों में अपने अलेखांकित नकद के प्रवाह के लिए विभिन्न लाभकर्ताओ द्वारा किया जाता है।

[101] डीआईटी (जांच) रिपोर्ट के अनुसार, कोई प्रविष्टि आपरेटर वह व्यक्ति है जो में कमीशन की निश्चित *प्रतिशत* को प्रभारित करने के बाद समान राशि के नकद/चैक के बदले में निभाव प्रविष्टि देने का कार्य करता है।

[102] वह व्यक्ति जिसके पास अलेखांकित धन है और बिना किसी कर या जो भी हो का भुगतान किए बिना इसे अपनी लेखा बहियों में लाना चाहता है।

कीमत बढाते है अक्सर 20 से 25 बार। जब कीमत इच्छित स्तर पर पहुंच जाती है, शेयरों को, लाभार्थी जिसने नाममात्र कीमत पर खरीदा हैं वे ऑपरेटर द्वारा जाली पेपर कंपनी को बेच दिया जाता है। इसके लिए, रिपोर्ट कहती है लाभार्थियों द्वारा अलेखांकित नकद प्रदान करवाया गया था जो ऑपरेटर द्वारा पेपर कंपनियों को कई परतों के माध्यम से भेजा गया तथा अन्त में जाली पेपर कंपनी के साथ पार्क किया गया था जिसे निकास प्रदाता के रूप में भी जाना जाता है जो शेयर खरीदेगा।

6.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

डीआईटी (जांच) कोलकाता की रिर्पोट के अनुसार, मुम्बई में 17,344 लाभार्थी थे जिन्होनें एलटीसीजी छूटका दावा किया था। मामलों की नमूना जांच आयकर विभाग के मुंबई क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों जैसे कि नीचे दिये गए हैं के साथ लेखापरीक्षा द्वारा की गई थी। निर्धारणों की लेखापरीक्षा के लिए, 29 सीआईटी में 547 मामले चयनित किए गये थे जिनमें से 499 मामलों की लेखापरीक्षा की गयी है। लेखापरीक्षा नहीं किए गये 48 मामलों में से 14 मामलें रिकार्डों की गैर प्रस्तुती तथा शेष मामले व्यक्तियों का पैन ना होना, डेटा की अनुपलब्धता, मुम्बई से बाहर वाले क्षेत्राधिकारिक प्रभार आदि वाले बनते थे।

हमने अप्रैल 2020 में वित्त मंत्रालय को मामला उनकी टिप्पणियों के लिए सन्दर्भित किया। मंत्रालय की प्रतिक्रिया अभी प्रतिक्षित थी (जून 2020)।

6.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

क) यह जांच करने के लिए कि क्या विभाग ने डीआईटी(जांच) कोलकता द्वारा पहचाने गये सभी लाभर्थियों को लक्षित किया है जो पेनी स्टॉक के माध्यम से अधिनियम की धारा 10(38) के अन्तर्गत एलटीसीजी छूट का दावा कर रहे थे।

ख) यह जांच करने के लिए कि क्या निर्धारण अधिकारी ने पेनी स्टॉक सहित एलटीसीजी दावों के निर्धारण पर आयकर विभाग द्वारा जारी किए गये बोर्ड के निर्देशों तथा एसओपी का अनुसरण किया है।

6.6 लेखापरीक्षा परिणाम

लाभार्थियों के निर्धारण अभिलेखों का सत्यापन, जिन्होनें पेनी स्टॉक में कारोबार किया था, जिनकी अधिनियम की धारा 10(38) के अन्तर्गत

संदेहास्पद एलटीसीजी छूट शामिल थी, की नमूना जांच की गई तथा निम्नलिखित परिणाम थे:

6.6.1 एलटीसीजी दावा करने के बावजूद लाभार्थी न तो कभी संविक्षा के लिए चयनित किये गये न ही अधिनियम की धारा 148 के अन्तर्गत मामले पुन: से खोले गये।

हमने पाया कि 71 मामलों में जिनमें निर्धारिती छूट पूंजीगत लाभ दावे सहित, विभाग ने डीआईटी (जांच) की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कोई कार्रवाई नहीं की थी जबकि इन छूट पूंजीगत लाभ को संदेहास्पद के रूप में माना गया। पेनी स्टॉक के नये बटन के बावजूद, जिसे पेनी स्टॉक से संबंधित सूचना को प्रदर्शित करने के लिए आयकर अनुप्रयोग प्रणाली में व्यक्तिगत संव्यवहार सक्रीन (आईटीएस) पर जोडा गया तथा उस निर्धारिती की जानकारी को अपलोड किया जिन्होनें प्रणाली निदेशालय द्वारा ऐसे पेनी स्टॉक से व्यापार किया था, छूट वाले पुंजीगत लाभ के दावे के परिप्रेक्ष्य में इन मामलों की संविक्षा या फिर से खोलने में आईटीडी विफल रहा।

6.6.1.1 36 मामलों में, निर्धारिती ने आईटीआर में एलटीसीजी की छूट का दावा किया था लेकिन विभाग पेनी स्टॉक पर एलटीसीजी तथा सीबीडीटी निर्देश[103] के छूट के दावों के सन्र्दभ में संविक्षा अथवा अधिनियम की धारा 148 के अन्तर्गत फिर से खोलने के लिए इन मामलों का चयन करने में विफल हो गया था। ऐसा एक निदर्शित मामला को नीचे दर्शाया गया है:

(क) निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2013-14 के लिए एसीआईटी 17(2) मुम्बई के निर्धारित व्यक्तिगत मामले में, निर्धारिती ने आईटीआर 2 फाईल की जिसकी अनूसुची ईआई छूटजाली आय के विवरण पर यह प्रकट करता है कि निर्धारिती ने छूट वाली एलटीसीजी के रूप में ₹15.47 करोड़ का दावा किया था। नि.व. 2013-14 में निर्धारिती ने ऐसे कम्पनियां जो आयकर निदेशालय (जांच) कोलकाता द्वारा मान्यता प्राप्त थे, में कारोबार किया, जिसे ₹ 15.37 करोड़ की व्यापार मूल्य के साथ डीआईटी कोलकता रिपोर्टे के अनुसार पेनी स्टॉक के रूप में पहचाना गया था। तथापि छूट वाली एलटीसीजी के परिणाम के बावजूद संव्यवहार की सत्यता की जांच करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

6.6.1.2 28 मामलों में, निर्धारितियों ने अपने आईटीआर में कोई पूंजीगत लाभ नहीं दर्शाया था और जो न तो सीएएसएस के तहत विभाग द्वारा चयनित थे और न ही अधिनियम की धारा 148 के तहत पुन: खोले गए थे। हालांकि

---

[103] सीबीडीटी पत्र सं. एफ.सं. 287/30/2014-आईटी (आईएनवी.III)- खंड-II डीटी. 16 मार्च, 2016

आयकर निदेशालय (जांच) कोलकाता के अनुसार, इन निर्धारितियों ने छूट प्राप्त एलटीसीजी दावे को शामिल करते हुए पेनी स्टॉकों में कारोबार किया था। इन निर्धारितियों के संबंध में आयकर निदेशालय (जांच), कोलकाता की रिपोर्ट में उपलब्ध सूचना एवं पेनी स्टॉक पर सीबीडीटी निर्देशों के बावजूद, आयकर विभाग एलटीसीजी शीर्ष के तहत आय के मोचन की जांच करने में विफल रहा। ऐसा एक निदर्शित मामला को नीचे दर्शाया गया है:

(क) आयकर कार्यालय 4(3)(4) मुम्बई में एक निर्धारिती कंपनी के निर्धारण के मामले में, आयकर विवरणी 6 में नि.व. 2010-11 एवं 2011-12 हेतु दाखिल की गई विवरणी में छूट प्राप्त आय के ब्यौरे की ईआई अनुसूची से पता चला कि निर्धारिती ने छूट प्राप्त शून्य आय को दर्शाया था। आयकर विभाग (जांच), कोलकाता द्वारा प्रयुक्त स्टॉक एक्सचैंज आंकडों से पता चला कि निर्धारिती ने एक कम्पनी (आयकर निदेशालय(जांच), कोलकाता की रिपोर्ट के अनुसार पेनी स्टॉक) में नि.व. 2010-11 और 2011-12 के लिए क्रमश: ₹ 13.51 करोड़ एवं ₹ 7.70 करोड़ के व्यापार मूल्य के साथ करोबार किया था। हालांकि, एलटीसीजी शीर्ष के तहत आय के मोचन के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

6.6.1.3 सात मामलों में लेखापरीक्षा में पाया गया कि, ये निर्धारिती आयकर निदेशालय (जांच), कोलकाता की रिपोर्ट के अनुसार पेनी स्टॉक में कारोबार करने में शामिल थे। हालांकि, इन निर्धारितियों ने अपनी आयकर विवरणी दाखिल नहीं की थी। आयकर विभाग ने आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए इन निर्धारितियों को न तो कोई नोटिस जारी किए और न ही अधिनियम की धारा 144 के तहत कोई निर्धारण प्रक्रिया प्रारंभ की। यहां तक कि इन नॉन-फाइलरों के संबंध में एनएमएस[104] का भी प्रभावी रूप से उपयोग नहीं किया गया था, जो एनएमएस की कमी को भी दर्शाता है। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

(क) आयकर कार्यालय 32(2)(1), मुम्बई में एक व्यक्तिगत निर्धारण के मामले में, नि.व. 2014-15 और 2015-16 के लिए निर्धारिती द्वारा विवरणी दाखिल नहीं की गई थी। इस मामले को न तो जांच के लिए चयनित किया और न ही विभाग द्वारा निर्धारिती का पता लगाने के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाने के लिए कोई नोटिस दिया गया था। निर्धारिती ने ₹ 3.89 करोड़ के कारोबार मूल्य के साथ ऐसे कम्पनियों में कारोबार किया था जिसे आयकर निदेशालय (जांच) कोलकाता की रिपोर्ट के अनुसार पेनी स्टॉक के रूप में

[104] नॉन-फाइलर्स निगरानी प्रणाली

मान्यता दी गई थी। हालांकि, आयकर विभाग छूट प्राप्त एलटीसीजी के परिमाण के बावजूद आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए निर्धारिती को नोटिस जारी करने में विफल रहा, जो जाली रूप में हो सकते है। यह नॉन - फाइलर निगरानी प्रणाली की विफलता को भी दर्शाता है।

उत्तर में, विभाग ने बताया कि, व्यक्तिगत संव्यवहार विवरण (आईटीएस) के प्रश्न पूछताछ से, पेनी स्टॉक कम्पनी के संबंध में कोई विशिष्ट कारोबार आंकड़े प्रणाली में प्राप्त नहीं हुए थे। अत: लेखापरीक्षा प्रश्न पूछताछ स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, मामले को उपचारात्मक कार्रवाई के रूप में पुन: खोला जाएगा।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आयकर निदेशालय (जांच), कोलकाता की रिपोर्ट के माध्यम से यह देखा गया कि निर्धारिती ने इन पेनी स्टॉकों में कारोबार किया था।

6.6.2 संवीक्षा हेतु लाभार्थियों को चयनित किया गया परंतु इसमें शामिल छूट प्राप्त एलटीसीजी के संबंध में परिवर्धन असंगत रूप से किया गया था अथवा नहीं किया गया।

6.6.2.1 21 मामलों में हमने देखा कि विभाग ने संवीक्षा हेतु मामलों का चयन किया परंतु ऐक्शनेबल इन्फोरमेशन मॉनीटरिंग सिस्टम (एआईएमएस) के तहत आईटीएस में विकसित किए गए नए टैब 'पेनी स्टॉक' के माध्यम से निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के बावजूद, दावा किए गए छूट प्राप्त पूंजीगत लाभ के संबंध में परिवर्धन नहीं किया गया था। निर्धारण अधिकारी ने छूट प्राप्त एलटीसीजी को अस्वीकृत न करने का कोई भी औचित्य नहीं दिया, यद्यपि मामला पेनी स्टॉक के माध्यम से छूट प्राप्त एलटीसीजी को सत्यापित करने के लिए चयनित था, जो निर्धारण अधिकारी की अव्यवहारिक अभिवृत्ति और विभाग की कार्यप्रणाली में गैर-पारदर्शिता एवं पेनी स्टॉक के मामलों के निर्धारण में विभाग द्वारा जारी एसओपीके अननुपालन को भी इंगित करता है। तीन मामलों के दृष्टांत नीचे दिए गए है:

(क) एसीआईटी सर्कल 15(2)(1) में नि.व. 2013-14 के लिए व्यक्तिगत निर्धारण के मामले में, सितंबर 2016 में धारा 148 के तहत नोटिस जारी किया गया था और पुन: खोलने का कारण पेनी स्टॉक कंपनी के शेयरों की बिक्री थी तथा कुल बिक्री प्रतिफल ₹ 14.82 करोड़ था। एसीआईटी 22(3) के द्वारा दिनांक 08.05.2017 को धारा 148 के तहत यह बताते हुए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था कि मामला एसीआईटी 15(2)(1) प्रभार को

हस्तांतरित कर दिया गया था। हालांकि वर्तमान निर्धारण अधिकारी प्रभारी के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। जो प्रभार स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप कार्यवाही योग्य मामलों में कमजोर निगरानी को इंगित करता है**,** जिसका निर्धारितियों द्वारा दुरूपयोग किया जा सकता था।

(ख) वार्ड आईटीओ 22(3)(2) मुम्बई में नि.व. 2014-15 के लिए व्यक्तिगत निर्धारण के मामलें में, निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 19.10.2016 के अपने पत्र में धारा 147 के तहत पुन: खोलने के कारण बताए, कि आयकर निदेशालय (जांच) कोलकाता के अनुसार निर्धारिती ने ₹ 3.30 करोड़ के कुल कारोबार मूल्य के लिए पेनी स्टॉक के कारोबार से ₹ 3.21 करोड़ की एलटीसीजी छूट प्राप्त की है। इसलिए, अधिनिमय की धारा 147 की परिभाषा के अंतर्गत ₹ 3.30 करोड़ की आय कर योग्य थी। हालांकि, निर्धारण आदेश (अक्टूबर 2017) पारित करते समय निर्धारण अधिकारी ने पेनी स्टॉकों के संबंध में निवेश एवं विक्रय प्रतिफल के विषय में कोई भी चर्चा नहीं की और पेनी स्टॉकों पर एलटीसीजी के लिए किसी भी अस्वीकृति के बिना विवरणी के अनुसार आय को स्वीकार किया।

(ग) डीसीआईटी, सेंट्रल सर्कल-I कानुपर में नि.व. 2012-13 के लिए एक व्यक्तिगत निर्धारण के मामले में, निर्धारिती के आवासीय परिसर में जुलाई 2014 में जांच और जब्ती का कार्य किया गया था। ₹ 0.10 करोड़ की नकदी और ₹ 0.97 करोड़ के आभूषण जब्त किए गए थे। इस सर्कल में मामला केंद्रीकृत किया गया था। अधिनियम की धारा 153ए के तहत मई 2017 में निर्धारण आदेश पारित किया गया था। आय के विवरण की संगणना से यह देखा गया कि निर्धारिती ने एक पेनी स्टॉक कम्पनी जो आयकर निदेशालय (जांच), कोलकाता द्वारा मान्यता प्राप्त पेनी स्टॉक में से एक था के शेयर की बिक्री से ₹ 6.06 करोड़ के छूट प्राप्त एलटीसीजी का दावा किया था। इसलिए, एलटीसीजी के दावा की गईछूट को विभाग के द्वारा अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। हालांकि, निर्धारण आदेश पारित करते समय निर्धारण अधिकारी ने आईटीएस में और एक्शनेबल इन्फ्रॉमेंशन मॉनीटरिंग सिस्टम (एआईएमएस) के तहत विकसित एक नए टैब **'**पेनी स्टॉक**'** के माध्यम से उसके पास उपलब्ध सूचना के बावजूद, एलटीसीजी और पेनी स्टॉक के संबंध में बिक्री प्रतिफल के विषय में चर्चा नहीं की और इसकी स्वीकृति दी थी।

6.6.2.2 सात मामलों में, निर्धारण अधिकारी ने कारोबार मूल्य के *प्रतिशत* के रूप में प्रविष्टि-निकास प्रदाता के मामले में अस्वीकृति दी थी। इन व्यक्तियों

के निर्धारण आदेशों के अनुसार, इन सभी का उपयोग प्रविष्टि प्रदाता द्वारा विभिन्न लाभार्थियों को फर्जी आवास प्रविष्टियां प्रदान करने के लिए किया गया था। हालांकि, इसी प्रकार के अन्य मामलों में जो उसी प्रविष्टि प्रदाता के द्वारा उपयोग किए गए थे, निर्धारण अधिकारी ने 100 *प्रतिशत* अस्वीकृति दी थी। इस प्रकार निर्धारणों के दौरान दी गई अस्वीकृति में असंगतता है। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

(क) एक व्यकितगत निर्धारिती के मामले में, आईटीओ 30(1)(5), मुम्बई में नि.व. 2014-15 के लिए निर्धारण किया गया। मामले को सीएएसएस के तहत शेयरों (आईटीएस में पेनी स्टॉक) में एक संदिग्ध बिक्री संव्यवहारों के कारण संवीक्षा के लिए चयन किया गया। निकास प्रदाता में से एक होने के कारण निर्धारिती ने एक कम्पनी के पेनी स्टॉक शेयर खरीदे थे। निर्धारण क्रम में, विभाग ने ₹ 6.36 करोड़ की कुल नकद जमा राशि का पांच *प्रतिशत* ₹ 0.32 करोड़ की राशि को यह कहते हुए अस्वीकृत कर दिया कि निर्धारिती एक निकास प्रदाता है। हालांकि, डीसीआईटी (सीसी)-8(3), मुम्बई में निर्धारण की गई कंपनी के ऐसे ही एक मामले में, जहां निर्धारिती कंपनी निकास प्रदाता थी और समान प्रकार से सनराइज एशियन लिमिटेड में कारोबार करती थी, विभाग ने कुल खरीद का 100 *प्रतिशत* अस्वीकृत कर दिया और संपूर्ण राशि को संकलित कर दिया था। इस प्रकार, निर्धारणों में स्पष्ट रूप से असंगतता दिखती है।

6.6.3 विक्रय प्रतिफल और कमीशन खर्चो की अस्वीकृति में असंगतता

6.6.3.1 हमने देखा कि जाली एलटीसीजी संव्यवहारों के प्रशोधन में निर्धारण अधिकारी द्वारा दिए गए निर्धारण आदेशों में किए गए परिवर्धन में एकरूपता नहीं थी। पेनी स्टॉकों के निर्धारण में विभाग द्वारा एसओपी जारी किया जो नियत करता है कि शेयरों की बिक्री पर प्राप्त एलटीसीजी की संपूर्ण बिक्री आय के अनुमानित दावे के मामले में, अधिनियम की धारा 10(38) के तहत छूट की किसी पात्रता के बिना अधिनियम की धारा 68 के तहत करयोग्य आय के रूप में जोड़ा जाना है। इसके अलावा, 32 मामलों में जाली एलटीसीजी को रद्द करते हुए विभाग ने कुल बिक्री प्रतिफल को अस्वीकृत कर दिया था, जबकि 43 मामलों में विभाग ने केवल निवल एलटीसीजी के दावे को अस्वीकृत किया था। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

अधिनियम की धारा 68 प्रावधान करती है कि,यदि निर्धारिती के बही-खाते में जमा की गई किसी भी राशि के स्वरूप एवं स्रोत के विषय में निर्धारिती कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है तो निर्धारिती की आय के रूप में जमा की गई राशि पर आयकर प्रभारित किया जाए।

सर्कल 31(3) मुम्बई में एक व्यक्तिगत निर्धारण के मामले में नि.व. 2013-14 के लिए निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 10 (38) के तहत ₹ 5.20 करोड़ की छूट का दावा किया था। निर्धारिती को बिक्री आय के रूप में ₹ 5.41 करोड़ प्राप्त हुए। आयकर विभाग ने केवल ₹ 5.20 करोड़ के निवल पूंजीगत लाभ को अस्वीकृत किया था, जिसका आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 68 के तहत छूट का दावा किया गया। हालांकि, वार्ड आईटीओ 17(3)(1) मुम्बई में निर्धारण किए गए एक अन्य व्यक्तिगत मामले में नि.व. 2014-15 के लिए, निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 10(38) के तहत ₹ 10.82 करोड़ की छूट का दावा किया था। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 68 के तहत शेयरों की बिक्री आय के रूप में प्राप्त ₹ 11.01 करोड़ की राशि को अस्वीकृत कर किया था।

6.6.3.2 अघोषित आय को घोषित आय में परिवर्तित करने में संबद्ध लागत को विभाग द्वारा कमीशन खर्च के रूप में अस्वीकृत किया गया। हमने पाया कि उसको अस्वीकृत करने के दृष्टिकोण में कोई संगति नहीं थी। 40 मामलों में कमीशन के तहत अस्वीकृति नहीं दी गई, जबकि 69 मामलों में कमीशन की अस्वीकृति में 0.5 से 5 *प्रतिशत* तक का अंतर था। दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

अधिनियम की धारा 69सी प्रावधान करती है कि, यदि निर्धारिती किसी भी वित्तीय वर्ष में निर्धारिती द्वारा वहन किए गए किसी भी व्यय के स्रोत के विषय में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो ऐसे व्यय को उस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती के आयकर प्रभारित करने के लिए निर्धारिती की आय माना जाय ।

(**क**) वार्ड आईटीओ 18(2)(5) मुम्बई में दिसंबर 2017 में नि.व. 2015-16 के लिए व्यक्तिगत निर्धारण के मामले में, निर्धारिती ने एक प्रविष्टि प्रचालक से प्रविष्टि प्राप्त की थी जिसने जांचकर्ता विंग कोलकाता द्वारा रिकार्ड किए गए उसके बयान में स्वीकार किया था कि वह कमीशन वसूल करके लाभार्थियों को आवास प्रविष्टियां प्रदान कर रहा था। आयकर विभाग ने एक कम्पनी के पेनी स्टॉक शेयरों के विक्रय पर फर्जी लाभ के रूप में अस्पष्टीकृत निवेश के रूप में ₹ 5.27 करोड़ अस्वीकृत किया था। इसके अलावा, विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 69सी के तहत अस्पष्टीकृत व्यय के रूप में 0.5 *प्रतिशत* की दर पर कमीशन अस्वीकृत किया था।

(**ख**) केंद्रीय सर्कल 2(2), मुम्बई मे दिसंबर 2017 में नि.व. 2014-15 के लिए व्यक्तिगत निर्धारण किए गए मामले में, निर्धारिती ने प्रविष्टि प्रचालक से

प्रविष्टि कराई थी। प्रचालक ने जांचकर्ता विंग, कोलकाता द्वारा रिकार्ड किए गए अपने बयान में स्वीकार किया कि उसने कमीशन शुल्क लेकर लाभार्थियों की आवास प्रविष्टियां की थी। आयकर विभाग ने शेयरों के विक्रय पर फर्जी लाभ होने के कारण अस्पष्टीकृत निवेश के रूप में ₹12.74 करोड़ को अस्वीकृत किया। इसके अलावा आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 69सी के तहत अस्पष्टीकृत व्यय के रूप में पांच *प्रतिशत* की दर पर कमीशन के भुगतान को अस्वीकृत किया था।

6.7 निष्कर्ष

एलटीसीजी दावा करने की आयकर विभाग के पास सूचना होने के बावजूद भी पेनी स्टॉक कंपनियों के शेयरों में व्यापार करने वाले निर्धारितियों की आईटीआर को न तो संवीक्षा हेतु चुना गया था और न ही संवीक्षा हेतु दोबारा खोला गया था। आयकर विभाग ऐसे निर्धारितियों को आईटीआर फाइल करने का नोटिस जारी करने में विफल रहा जो पेनी स्टॉक में व्यापार करते थे परंतु अपनी आईटीआर फाइल नहीं की थी। ऐसे नॉन फाइलर्स की पहचान करने के लिए नॉन फाइलर्स निगरानी प्रणाली का भी प्रभावपूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया था। निर्धारण अधिकारियों में इस तथ्य के बावजूद कि परिवर्धन के आधार एक समान थे एलटीसीजी छूट के परिवर्धन में एकरूपता नहीं थी। कुछ मामलों में, निर्धारण अधिकारियों ने दावा किए गए छूट प्राप्त एलटीसीजी के लिए कोई परिवर्धन नहीं किया था जिसके लिए निर्धारण आदेशों में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारीयों ने विभिन्न प्रतिशतता पर परिवर्धन किए थे जबकि निर्धारितियों ने समान पेनी स्टॉक कंपनियों के शेयरों में व्यापार किया था। आयकर विभाग में पेनी स्टॉक में व्यापार कर रहे लाभार्थियों के मामलों से संव्यवहार करने के लिए कोई पद्धति नहीं थी क्योंकि कुछ मामलों में समस्त बिक्री प्रतिफल को अननुमत किया गया था जबकि कुछ मामलों में केवल दावा की गई एलटीसीजी को ही अननुमत किया गया था। प्रवेश और निकास प्रदाता को पेनी स्टॉक के लाभार्थी से प्राप्त कमिशन की अननुमति में भी अंतर है।

यह सिफारिश की जाती है कि

(i) *आयकर विभाग सीएएसएस मानदंडों को इस प्रकार पुन: परिभाषित करे कि आईटीआर या अन्य स्त्रोतों से आयकर विभाग के पास उपलब्ध विशिष्ट सूचना का, संविक्षा हेतु मामलों का चुनाव करने में प्रयोग किया जा सके।*

(ii) *सीएएसएस के अंतर्गत संवीक्षा हेतु चयन की पद्धति को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ साझा किया जाए जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2019 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 9 में कहा गया था ताकि लेखापरीक्षा में देखा जा सके कि क्या संवीक्षा हेतु मामलों का चयन सीएएसएस मानदंडों के अनुसार हुआ है।*

(iii) *आयकर विभाग यह जांच करे कि क्या पेनी स्टॉक पर एलटीसीजी का दावा किए गए मामलों के निर्धारण में हुई त्रुटियां भूल के कारण या जानबूझ कर की गई थी यदि ये त्रुटियां जानबूझ कर की गई थी तो* आईटीडी *को कानून के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।*

नीलेश कुमार साह

नई दिल्ली **(नीलेश कुमार साह)**

दिनांक: 03 अगस्त 2020 **प्रधान निदेशक (प्रत्यक्ष कर-I)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(राजीव महर्षि)**

दिनांक: 04 अगस्त 2020 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**